# <u>पोर्टेबिलिटी सक्रिय दुकानों के लिए नियम</u>

1) Portibility के अन्तेर्गत राशन केवल बायोमेट्रिक प्रणाली से ही वितरित किया जायेगा |
2) बिक्री के लिए दोनों PoS मशीनें ऑनलाइन होनी चाहिए |
3) बिक्री के लिए दोनों PoS मशीन में **Portability** का विकल्प सक्रिय होना अनिवार्य है **|**
4) Portibility के अंतर्गत उपभोगता को अपनी पूर्ण पात्रता एक ही उचित मूल्य की दूकान से उठानी होगी , आंशिक पात्रता तभी मान्य होगी अगर उस उचित मूल्य की दूकान में स्टॉक उपलब्ध नहीं होगा |
5) कार्ड धारक महीने की शेष मात्रा अपनी उचित मूल्य की दूकान से ही प्राप्त कर सकता है|
6) यदि कार्ड धारक ने राशन की कुछ भी मात्रा अपनी उचित मूल्य की दूकान से प्राप्त कर ली है, तो वह उस महीने **Portability** के द्वारा किसी अन्य उचित मूल्य की दूकान से राशन प्राप्त नहीं कर सकता |
7) यदि किसी उचित मूल्य की दूकान में **Portability** का विकल्प सक्रिय है तो PoS मशीन द्वारा ऑफलाइन सेल नहीं की जा सकती, यदि ऐसा किया जाता है तो PoS मशीन पर "**Sale Interputed**" का संकेत दिखाई देगा |
8) कार्ड धारक को महीने में एक बार ही **Portability** द्वारा राशन लेने की सुविधा है |
9) Portability सक्रिय PoS मशीनों में 5 मिनट का सेल टाइम निर्धारित किया गया है ताकि लाभार्थी के राशन कार्ड पर दो उचित मूल्य की दूकान पर बिक्री न की जा सके |
10) Portability के अंतर्गत वही राशन कार्ड धारक राशन लेने के लिए पात्र हैं, जिनका आधार नंबर राशन कार्ड से पंजीकृत है |